भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2016

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

पानी के दुरूपयोग के लिए जुर्माना

2016. डा. अमी याज्ञिक:

श्रीमती फूलो देवी नेतम

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''पानी की बर्बादी/दुरूपयोग'' के लिए जुर्माना लगाए जाने से पहले उक्त के संबंध में मानदंड को परिभाषित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में पानी के दुरूपयोग के लिए जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2020 से अब तक पानी के दुरूपयोग के लिए कितने मामले दर्ज किए गए और कितने मामलों में दोषसिद्धि हुई है; और

(घ) पानी के दुरूपयोग को कम करने के उपाय के रूप में जुर्माने की प्रभावकारिता को सिद्ध करने के लिए क्या साक्ष्य मौजूद है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): जल का दक्ष उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और नागरिक निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में जल राज्य का विषय है। जल की बर्बादी/दुरुपयोग और केन्द्रीय स्तर पर इसके लिए लगाए गए दंड के संबंध में सूचना का कोई कोष नहीं है।

हालांकि, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने दिनांक 08.10.2020 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूमिगत से निकाले गए पीने योग्य जल संसाधनों को बर्बाद या दुरुपयोग नहीं करेगा। अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति नेटवर्क से संबंधित नगर निकाय जैसे जल बोर्ड, जल निगम, जल कार्य विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, पंचायत आदि यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमिगत से निकाले गए पीने योग्य पानी की बर्बादी या दुरुपयोग न हो और उल्लंघनों के लिए दंडात्मक उपायों के साथ अनुपालन तंत्र विकसित किया जाए।

(ख) से (घ): उपर्युक्त पैरा (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

*****